परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.09.2020 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 28.09.2020, दिन सोमवार को अपराह्न 04:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :-

1.	प्रो० नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो० नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
4.	डा० गायत्री सिंह, प्राचार्या, अर्मापुर पी०जी० कालेज, कानपुर।	सदस्या
5.	डॉ० बी०डी० पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
6.	डॉ० अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
7.	डॉ० सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, संगणक केन्द्र, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	डॉ० अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सचिव

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये :-

मद सं०-1. श्री बाबू सिंह दद्दू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, फर्रूखाबाद, बी.ए.एम.एस. बैच-2015 तृतीय वर्ष बाल रोग विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा में कालेज द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट किए गये 38 परीक्षार्थियों के Clinical Work के अंक छूट जाने के प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय- श्री बाबू सिंह दद्दू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, फर्रूखाबाद के बी.ए.एम.एस. तृतीय वर्ष बैच-2015 के 74 छात्र/छात्राओं की बाल रोग विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 05/07/2020 को सम्पन्न हुयी। उक्त प्रयोगात्मक परीक्षा के आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों द्वारा अपने पत्र दिनांक 05/08/2020 द्वारा विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया है कि दिनांक 05/07/2020 को कालेज के एक छात्र के गंगा जी में डूब जाने की वजह से कालेज में माहौल दुखद एवं तनावपूर्ण हो जाने के कारण कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा गलती से 38 छात्र/छात्राओं के चार खण्डों(Spoting, Patient Examination, Viva & Clinical Work) में प्रदान किए जाने वाले अंकों में छात्र/छात्राओं को Clinical Work में प्राप्त अंकों को कुल योग में सम्मिलित न करते हुए तीन खण्डों के कुल अंक ऑनलाइन प्रविष्ट कर दिये गये। उक्त प्रायोगिक परीक्षा के आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों द्वारा Clinical Work में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए अंकों की मूल प्रति(हार्ड कापी) प्रेषित करते हुए तद्नुसार हार्ड कापी में प्राप्त अंकों को समाहित करते हुए उक्त छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

परीक्षा समिति द्वारा आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में एक खण्ड के अंक ऑनलाइन सबमिशन से छूट जाने के प्रकरण को को संदिग्ध माना गया क्योंकि उक्त परीक्षकों द्वारा कुल 74 छात्र/छात्राओं में से मात्र 38 के एक खण्ड के अंक ऑनलाइन सबमिट नहीं हुए जबकि शेष 36 परीक्षार्थियों के सभी खण्डों के अंक ऑनलाइन प्रविष्ट कर दिये गये। अतः परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रायोगिक परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों को अलग-अलग सभी खण्डों में परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों की मूलप्रति

Scanned with CamScanner

मद सं0–3 मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक कालेज, फर्रूखाबाद के बी0ए0एम0एस0 परीक्षा–सम्पन्न जनवरी, 2020 की माह–जून, 2020 में सम्पन्न प्रायोगिक परीक्षा में 08 छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएँ कोविड–19 के कारण कन्टेनमेन्ट जोन में होने की वजह से छूट जाने सम्बन्धी प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक कालेज, फर्रूखाबाद के बी0ए0एम0एस0 परीक्षा–जनवरी,2020 की प्रायोगिक परीक्षाएँ माह–जून, 2020 में सम्पन्न हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/07/2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रायोगिक परीक्षा में संदर्भित महाविद्यालय के 08 छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएँ कोविड–19 महामारी के कारण कन्टेनमेन्ट जोन में होने की वजह से प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये थे। तदनुसार अनुपस्थित छात्रों की पुनर्परीक्षा कराये जाने का अनुरोध किया गया है। सूच्य है कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में आज तक कोई भी छूटी हुई प्रयोगात्मक अथवा लिखित परीक्षा पुनः सम्पन्न नहीं करायी गयी है। अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्राएँ पूरक परीक्षा में ही सम्मिलित होते रहे हैं, परन्तु कोविड–19 महामारी के कारण इस वर्ष विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुयी हैं।

अतः उक्त के दृष्टिगत परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक कालेज, फर्रूखाबाद की बी0ए0एम0एस0 परीक्षा–जनवरी,2020 की 08 परीक्षार्थियों की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएँ रु0 2000/– प्रतिछात्र महाविद्यालय द्वारा जमा कराये जाने के उपरान्त पुनः सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा भविष्य में इसे दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

मद सं0–4 कु0 त्रियांशी निगम द्वारा बी0ए0 पाठ्यक्रम के तीनों वर्षों की परीक्षा किसी अन्य छात्रा के प्रवेश पत्र पर दिये जाने के उपरान्त बी0ए0 परीक्षाफल में नाम व पिता का नाम संशोधन किए जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर गठित जॉच समिति की आख्या पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि कु0 त्रियांशी निगम, कथित छात्रा लवकुश इन्स्टीट्यूट फार हायर एजूकेशन, चौबेपुर, कानपुर नगर ने बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रवेश पत्रों में नाम व पिता का नाम दोनो भिन्न होने के बावजूद उक्त महाविद्यालय में तीनों वर्षों की परीक्षाएँ दिये जाने के प्रकरण पर छात्रा द्वारा मा0 प्रधानमंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल सचिवालय,उ0प्र0 को अपना परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। शिकायती पत्रों के अनुक्रम में प्रकरण की जॉच हेतु जॉच समिति का गठन मा0 कुलपति महोदया द्वारा द्वारा किया गया। जॉच समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 13.07.2020 के उपरान्त प्रेषित आख्या/संस्तुति निम्नवत् है–

1– संदर्भित प्रकरण में उक्त महाविद्यालय द्वारा ज्योति राजपूत पुत्री राजाराम राजपूत का प्रवेश लिया गया और उसके अनुपस्थित होने की दशा में उसके प्रवेश पत्र एवं जॉच पत्र का प्रयोग करके उसके स्थान पर त्रियांशी निगम पुत्री अजयकान्त निगम को परीक्षा में सम्मिलित कराया गया, जबकि नियमानुसार प्रवेश के बाद छात्रा को कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति होने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। चूँकि महाविद्यालय द्वारा गलत कृत्य कारित किया गया है, अतः समिति द्वारा महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही करने की संस्तुति की जाती है।

28.07.2020

Scanned with CamScanner

मद सं0–6 बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं की सत्र 2019–20 की परीक्षा कराने/प्रमोशन हेतु गठित समिति की आख्यानुसार बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ अक्टूबर के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ कराये जाने एवं बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं की परीक्षा कराने/प्रमोशन के सम्बन्धी प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं की सत्र 2019–20 की परीक्षा कराने/प्रमोशन हेतु गठित संकायाध्यक्षों की समिति की आख्या/संस्तुति परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ अक्टूबर,2020 के तृतीय सप्ताह में प्रारम्भ करायी जॉय तथा बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष सत्र 2019–20 के छात्र/छात्राओं के संकायाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र द्वारा प्रस्ताव बनाकर मा0 कुलपति महोदया के अनुमोदनोंपरान्त प्रमोशन की कार्यवाही सम्पादित करायी जाय।

मद सं0–7 विश्वविद्यालय कार्य–परिषद की बैठक दिनांक 07–02–1982 के निश्चय सं0 20 में लिए गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय के परीक्षा शुल्क से वर्ष 1982 से छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर भविष्य के लिए नीति निर्धारण किए जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय– विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद की बैठक दिनांक 07–02–1982 के निश्चय सं0 20 में निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश लेने पर विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क में पूरी छूट तत्समय से प्रदान की जाती रही है। उक्त प्रकरण पर भविष्य के लिए नीति निर्धारण किए जाने हेतु मा0 कुलपति महोदया के निर्देशानुसार प्रकरण परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

परीक्षा समिति द्वारा सचिव से सूचना चाही गयी कि अन्य विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को परीक्षा शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रकिया अपनायी जा रही है? तत्क्रम में सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया उक्त के सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर प्रकरण को परीक्षा समिति की आगामी बैठक में इस पर निर्णय लिया जायेगा। साथ ही परीक्षा शुल्क में छूट दिये जाने के प्रकरण पर भविष्य में नीति निर्धारण हेतु अन्य विश्वविद्यालयों के साथ–साथ महाविद्यालयों को भी सम्मिलित करते हुए एक समान नीति निर्धारण किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

28.05-2020

Scanned with CamScanner

चुके हैं परन्तु प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने एवं पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनका परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया है। ऐसे लगभग 155 परीक्षार्थियों के पाठ्यमक्रम पूर्ण करने की अवधि तीन वर्ष पूर्ण हो चुकी है। सचिव द्वारा परीक्षा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में बी0एड0 बैच 2015–17 के ऐसे समस्त छात्र/छात्राओं जिनके पाठ्यक्रम की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, उन्हें विशेष बैक पेपर की परीक्षा सत्र 2016–18 के छात्र/छात्राओं के साथ दिये जाने की अनुमति परीक्षा समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 13–12–2018 में प्रदान की गयी थी।

उक्त के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से छात्रहित में बी0एड0/एम0एड0 बैच 2016–18 के प्रथम वर्ष(सत्र 2016–17) के ऐसे परीक्षार्थी जो बी0एड0/एम0एड0 द्वितीय वर्ष के समस्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तथा प्रथम वर्ष की परीक्षा में किसी एक विषय/प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित रहे हैं, की विशेष बैक पेपर परीक्षा सत्र 2018–20 की द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ कराने निर्णय लिया गया।

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

28.09.2020
डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

28/9/2020
प्रो0(निलिमा गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with CamScanner